राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय खेल निकाय

3. राष्ट्रीय खेल शासी निकायों की स्थापना ।
4. राष्ट्रीय खेल निकायों द्वारा कतिपय अपेक्षाओं का अनुपालन ।

अध्याय 3

राष्ट्रीय खेल बोर्ड

5. राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना।
6. बोर्ड की शक्तियां और कार्य ।
7. बोर्ड के कर्मचारिवृंद।

अध्याय 4

मान्यता प्राप्त खेल संगठनों का शासन

8. बोर्ड की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण।
9. बोर्ड की जांच संचालित करने की शक्ति ।
10. बोर्ड की मान्यता निलंबित या रद्द करने की शक्ति ।
11. तदर्थ प्रशासनिक निकाय ।

अध्याय 5

आचार संहिता

12. आचार संहिता ।

अध्याय 6

सुरक्षित खेल और शिकायतों को दूर करना

13. सुरक्षित खेल नीति ।

अध्याय 7

मान्यता प्राप्त खेल संगठन के विशेषाधिकार और कर्तव्य

14. मान्यता प्राप्त खेल संगठन के विशेषाधिकार ।
15. मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के कर्तव्य।

अध्याय 8

राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल

16. राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल की स्थापना और निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति ।

खंड

अध्याय 9

राष्ट्रीय खेल अधिकरण

17. राष्ट्रीय खेल अधिकरण का गठन ।

18. अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों का हटाया जाना ।

19. अधिकरण के कर्मचारिवृंद ।

20. अधिकरण की अधिकारिता का अपवर्तन ।

21. सदस्यों, आदि का लोक सेवक होना ।

22. लंबित मामलों का अंतरण ।

23. सिविल न्यायालय की अधिकरिता का वर्जन ।

24. अधिकरण की शक्तियां ।

25. उच्चतम न्यायालय को अपील ।

26. अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का डिक्री के रूप में निष्पादनीय होना ।

अध्याय 10

राष्ट्रीय नामों और प्रतीक चिन्ह का प्रयोग

27. राष्ट्रीय नामों और चिन्ह का प्रयोग ।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

28. निधि ।

29. लेखे और संपरीक्षा ।

30. खेल के संवर्धन और विकास संबंधी उपाय ।

31. नियम बनाने की शक्ति ।

32. विनियम बनाने की शक्ति ।

33. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

34. विशेष मामलों में शिथिल करने की शक्ति ।

35. राष्ट्रीय हित में निदेश जारी करने और निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति ।

36. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

37. अंतरराष्ट्रीय चार्टरों और परिनियमों के साथ टकराव ।

38. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

2025 का विधेयक संख्यांक 76

[नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025

खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल संचलन की नैतिकता और निष्पक्षता, ओलंपिक चार्टर, पैरालिंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोतम प्रथाओं और स्थापित विधिक मानकों का उपबंध करने और एक एकीकृत, साम्यपूर्ण और प्रभावी रीति से खेल शिकायतों औरखेल विवादों के समाधान का उपबंध करने और उससे संबंद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक

ओलंपिक चार्टर और पैरालंपिक चार्टर खेल प्रशासन में त्रुटिहीन नैतिक व्यवहार पर जोर देते हैं, जिससे राष्ट्रीय खेल शासी निकायों को ऐसे वैश्विक प्रशासन मानकों के अनुरूप ढलने की आवश्यकता होती है;

और राष्ट्रीय खेल शासी निकाय देश में महत्वपूर्ण लोक कार्य करते हैं और इन निकायों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का प्रबंधन लोकहित में खुले, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करें;

और भारत सरकार, ओलंपिक चार्टर और पैरालंपिक चार्टर में निहित मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप देश में खेल शासी निकायों की स्वायत्तता के सिद्धांत का सम्मान करती है;

और भारत सरकार, खेलों से संबंधित शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए सुलभ, निष्पक्ष और प्रभावी उपाय उपलब्ध कराने के महत्व को स्वीकार करती है;

और उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रभावी करना आवश्यक समझा गया है ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:—

अध्याय 1
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ होने के प्रतिनिर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "तदर्थ प्रशासनिक निकाय" से धारा 11 के अधीन तदर्थ प्रशासन के लिए गठित निकाय अभिप्रेत है;

(ख) "संबद्ध इकाई" से,—

(i) राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की,

(ii) राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति की;

(iii) राष्ट्रीय खेल महासंघ की; और

(iv) क्षेत्रीय खेल महासंघ की;

राज्य, जिला या अन्य इकाइयां अभिप्रेत हैं;

(ग) "एथलीट समिति", "विवाद समाधान समिति", "आचार समिति" और "कार्यकारी समिति", चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, से राष्ट्रीय खेल निकाय की क्रमशः "एथलीट समिति", "विवाद समाधान समिति", "आचार समिति" और "कार्यकारी समिति" अभिप्रेत है;

(घ) "बोर्ड" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खेल बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "बोर्ड मान्यता" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किसी खेल संगठन को मान्यता देना अभिप्रेत है;

(च) "उपविधि" से किसी खेल संगठन का संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, अभिप्रेत है;

(छ) "अभिहित खेल" से कोई खेल विधा अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, किसी विशिष्ट क्षेत्र या राज्य अथवा सम्पूर्ण भारत के लिए अभिहित खेल

के रूप में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ज) "अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और परिनियम" से ओलंपिक चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के अन्य चार्टर और परिनियम अभिप्रेत है तथा इसमें कोई भी उप-विधियां, नियम, विनियम या संविधान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित है जिसे ऐसे निकायों द्वारा समय-समय पर अंगीकृत, संशोधित या जारी किया जा सकता है;

(झ) "अंतर्राष्ट्रीय महासंघ" से,—

(i) किसी ओलंपिक खेल के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त महासंघ; या

(ii) पैरालम्पिक खेल के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त महासंघ, या

(iii) एक महासंघ जो गैर-ओलंपिक या गैर-पैरालंपिक खेलों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल को विनियमित करता है,

अभिप्रेत है;

(ञ) "अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति" से ओलंपिक खेलों के लिए शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ट) "अंतर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति" से पैरालम्पिक खेलों के लिए शासी निकाय अभिप्रेत है,

(ठ) "अंतर्राष्ट्रीय मान्यता" से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकाय द्वारा किसी राष्ट्रीय खेल शासी निकाय को मान्यता देना अभिप्रेत है;

(ड) "अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय" से कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकाय जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति या अंतर्राष्ट्रीय महासंघ या खेलों के लिए कोई महाद्वीपीय शासी निकाय, अभिप्रेत है;

(ढ) "राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति" से धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय खेल शासी निकाय के रूप में स्थापित राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति अभिप्रेत है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा भारत की राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के रूप में मान्यता दी गई है;

(ण) "राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति" से धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय खेल शासी निकाय के रूप में स्थापित राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति अभिप्रेत है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति द्वारा भारत की राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति के रूप में मान्यता दी गई है;

(त) "राष्ट्रीय खेल निकाय" से धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खेल शासी निकाय जैसे राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति या राष्ट्रीय खेल महासंघ या क्षेत्रीय खेल महासंघ अभिप्रेत है;

(थ) "राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल" से धारा 16 के अधीन अधिसूचित राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय खेल निकायों की कार्यकारी समिति और एथलीट समिति के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन की देखरेख करता है;

(द) "राष्ट्रीय खेल महासंघ" से किसी निर्दिष्ट खेल के लिए राष्ट्रीय खेल शासी निकाय के रूप में धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खेल महासंघ अभिप्रेत

है;

(ध) "राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन" से ऐसा खेल संगठन या निकाय अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन के विकास जैसे प्रतिभाओं की पहचान और उनका पोषण, खेल प्रशासन या कल्याण से संबंधित नीति का पक्ष समर्थन में योगदान देता है और धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(न) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करें" या "अधिसूचित" पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(प) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(फ) "मान्यता प्राप्त खेल संगठन" से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय खेल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त खेल संगठन अभिप्रेत है;

(ब) "क्षेत्रीय खेल महासंघ" से धारा 3 के अधीन किसी निर्दिष्ट खेल के लिए राष्ट्रीय खेल शासी निकाय के रूप में स्थापित क्षेत्रीय खेल महासंघ अभिप्रेत है;

(भ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(म) "महासचिव" से किसी राष्ट्रीय खेल निकाय का "महासचिव" या "सचिव" अभिप्रेत है;

(य) "उत्कृष्ट योग्यता वाला खिलाड़ी" से धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के परन्तुक में निर्दिष्ट खिलाड़ी अभिप्रेत हैं, पूरा करता है;

(यक) "राज्य" से संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी है;

(यख) "अधिकरण" से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय खेल अधिकरण अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय खेल निकाय

राष्ट्रीय खेल शासी निकायों की स्थापना ।

3. (1) निम्नलिखित निकायों को उनके संबंधित मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के लिए राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के रूप में स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

(क) राष्ट्रीय ओलंपिक समिति;

(ख) राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति;

(ग) प्रत्येक अभिहित खेल के लिए एक राष्ट्रीय खेल महासंघ; और

(घ) प्रत्येक अभिहित खेल के लिए एक क्षेत्रीय खेल महासंघ ।

(2) प्रत्येक शासी बहुखेल विद्याशाखा के लिए केवल एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एक राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति होगी,

(3) राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबद्धता प्राप्त होगी ।

(4) राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति से अंतर्राष्ट्रीय

मान्यता और संबद्धता प्राप्त होगी ।

(5) प्रत्येक राष्ट्रीय खेल महासंघ को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी तथा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकाय से संबद्धता प्राप्त होगी :

परंतु यह उपधारा ऐसे निर्दिष्ट खेल पर लागू नहीं होगी जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकाय नहीं है ।

(6) प्रत्येक प्रादेशिक खेल महासंघ के पास सुसंगत संबद्धताएं होंगी, जैसा विहित किया जाए ।

राष्ट्रीय खेल निकायों द्वारा कतिपय अपेक्षाओं का अनुपालन ।

4. (1) प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय के पास,—

(क) एक सामान्य निकाय, जिसमें इसकी प्रत्येक संबद्ध इकाई से समान संख्या में प्रतिनिधि तथा इसके उपविधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और परिनियम के अनुसार, यथा लागू, अन्य पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे:

परंतु इसमें उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होगा, जैसा कि विहित किया जाए;

(ख) एक कार्यकारी समिति जिसमें पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से,—

(i) कम से कम दो उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे;

(ii) दो एथलीट समिति से होंगे जो स्वयं में से चुने जाएंगे, और

(iii) अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और परिनियमों तथा उपविधियों के अनुसार, यथास्थिति, उतनी संख्या में पदेन और अन्य सदस्य मनोनीत या निर्वाचित किए जाएंगे:

परन्तु कर से कम चार सदस्य महिलाएं होंगी :

परंतु यह और कि कार्यकारी समिति में एथलीट समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मतदान अधिकार उप-विधियों द्वारा यथा निर्धारित होंगे।

(ग) एक आचार समिति का गठन उसकी यथा लागू उपविधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और परिनियमों के अनुसार किया जाएगा:

परंतु राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की आचार समिति किसी ऐसे राष्ट्रीय खेल निकाय की आचार समिति के रूप में कार्य करेगी, जिसके पास ऐसी समिति नहीं है;

(घ) विवाद समाधान समिति का गठन इसकी यथालागू उपविधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और परिनियमों के अनुसार किया जाएगा:

परंतु राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की विवाद समाधान समिति किसी ऐसे राष्ट्रीय खेल निकाय की विवाद समाधान समिति के रूप में कार्य करेगी, जिसके पास ऐसी समिति नहीं है;

(ङ) उप-नियमों द्वारा यथा अवधारित निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनी एथलीट समिति;

(च) एक अध्यक्ष, जो संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय का प्रमुख होगा तथा उसकी कार्यकारी समिति और आम निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(छ) संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय का महासचिव प्रशासन का प्रमुख होगा, जो कार्यकारी समिति और आम निकाय के सभी निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होगा:

परंतु जहां अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और परिनियम, प्रशासन के चाहे किसी भी नाम से ज्ञात, पूर्णकालिक प्रमुख के लिए उपबंध करते हैं, वहां प्रशासन के प्रमुख का कोई निर्वाचित पद नहीं होगा;

(ज) कोषाध्यक्ष, जो संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय के कोष या खातों का संरक्षक होगा ।

(2) कोई व्यक्ति कार्यकारी समिति के लिए निर्वाचन लड़ने या नामांकन प्राप्त करने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि—

(क) ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक है जिसने कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट अर्हता वाला खिलाड़ी है या उसने पहले कम से कम दो पूर्ण कार्यकालों के लिए कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है, यदि ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष या महासचिव या कोषाध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचन लड़ रहा है:

परंतु कोई व्यक्ति तीन लगातार कार्यकालों तक अलग-अलग या दोनों के संयोजन में अध्यक्ष या महासचिव या कोषाध्यक्ष के पद धारण कर सकेगा और कार्यकारी समिति में निर्वाचन के लिए एक कार्यकाल की आज्ञापन कूलिंग ऑफ अवधि पूरी करने के पश्चात् पात्र होगा ;

(ग) ऐसे व्यक्ति का नामांकन सामान्य निकाय के मतदान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से प्रस्तावित और समर्थित न किया गया हो;

(घ) ऐसे व्यक्ति को विकृतचित घोषित नहीं किया गया है;

(ङ) ऐसा व्यक्ति कार्यकारी समिति की अवधि और कार्यकाल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और परिनियम तथा उप-नियमों का अनुपालन करता है:

परंतु ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के लिए नामांकन की अंतिम तारीख को सत्तर वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा:

परंतु यह और कि सत्तर से पचहत्तर वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति, यदि अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और संविधि तथा उप-नियमों द्वारा अनुमति दी गई हो, निर्वाचन लड़ सकता है या नामांकन प्राप्त कर सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होता है, तो वह पूर्ण कार्यकाल तक सेवा करेगा;

(च) यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो उसके पास सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त है ।

(3) कार्यकारी समिति का कार्यकाल उपविधियों के अनुसार होगा तथा अधिकतम चार वर्ष की अवधि तक होगा ।

(4) विभिन्न निकायों, समितियों और पदों के लिए निर्वाचन की पद्धति, जिसमें उनका कार्यकाल, सदस्यों की पात्रता मानदंड और निरर्हता तथा शासन के अन्य मामले सम्मिलित हैं, वे होंगे जो विहित किए जाएं ।

अध्याय 3

राष्ट्रीय खेल बोर्ड

राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, बोर्ड की स्थापना कर सकेगी जिसे राष्ट्रीय खेल बोर्ड के नाम से जाना जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में अन्य सदस्य होंगे, जैसा विहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से की जाएगी, जिनके पास लोक प्रशासन, खेल शासन, खेल विधि और अन्य संबंधित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, यह नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे, जिन्हें लोक प्रशासन, खेल शासन में व्यापक अनुभव हों और जिन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्त हों, जैसा विहित किया जाए ।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन तथा भत्ते एवं पदावधि और उनकी सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन, जिनमें सेवा से हटाया जाना भी शामिल है, वे होंगी जैसा विहित किया जाए ।

(4) बोर्ड पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए चल तथा अचल दोनों प्रकार की संपति अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी, तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा ।

(5) बोर्ड का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा और बोर्ड ऐसे अन्य स्थानों पर अपनी शाखा कार्यालय स्थापित करेगा, जो विहित किए जाएं ।

बोर्ड की शक्तियां और कार्य ।

6. बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) खेल संगठनों को बोर्ड से मान्यता प्रदान करना और सम्बद्ध इकाइयों का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसी मान्यता या रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द करना;

(ख) राष्ट्रीय खेल निकायों और उनकी संबद्ध इकाइयों का रजिस्टर ऐसी रीति से बनाए रखना जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ग) धारा 9 में विनिर्दिष्ट मामलों पर जांच करना;

(घ) धारा 11 के अनुसार, एक तदर्थ प्रशासनिक निकाय का गठन करना अथवा संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय या उनकी संबद्ध इकाइयों को, जैसा भी मामला हो, ऐसा गठन करने का निर्देश देना;

(ङ) राष्ट्रीय खेल निकायों द्वारा आचार संहिता तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी करना;

(च) महिलाओं, अवयस्क खिलाड़ियों और अन्य वर्ग के व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित खेल नीति तैयार करना;

(छ) धारा 16 के अनुसार राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल का रोस्टर बनाए रखना;

(ज) भारत में खेलों के विकास और एथलीटों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों और राष्ट्रीय खेल निकायों के साथ सहयोग करना तथा ओलंपिक और खेल आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोतम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल निकायों को दिशानिर्देश जारी करना;

(झ) एथलीटों और सहायक कार्मिकों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे उपाय करना, जैसे विहित किया जाए; और

(ञ) ऐसी अन्य शक्तियाँ और कार्य जो विहित किए जाएं।

बोर्ड के कर्मचारिवृंद।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के परामर्श से, ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, जो बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

(2) बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अन्य सदस्य के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, जिसे अध्यक्ष द्वारा ऐसे अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों ।

(3) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की अर्हता, नियुक्ति, वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

अध्याय 4

मान्यता प्राप्त खेल संगठनों का शासन

बोर्ड की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण।

8. (1) बोर्ड को, किसी भी खेल संगठन को राष्ट्रीय खेल निकाय के रूप में बोर्ड मान्यता प्रदान करने की शक्ति होगी ।

(2) इस धारा के अधीन राष्ट्रीय खेल निकाय के रूप में बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई खेल संगठन, ऐसे प्ररूप और रीति से तथा ऐसे विशिष्टियों सहित, जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, बोर्ड को आवेदन करेगा।

(3) किसी खेल संगठन को उपधारा (1) के अधीन तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा संगठन,—

(क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकरण सोसाइटी है; या 1860 का 21

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन निगमित गैर-लाभकारी कंपनी है; या 2013 का 18

(ग) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन बनाया गया न्यास है; और 1882 का 2

(घ) ऐसे अन्य मानदण्डों और शर्तों का अनुपालन करता है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और जिसका एकमात्र उद्देश्य खेलों का विकास है ।

(4) इस धारा के अधीन दी गई बोर्ड मान्यता का नवीनीकरण समय-समय पर ऐसे समय अन्तराल पर और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(5) अधिनियम के आरंभ से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल निकायों के रूप में मान्यता प्राप्त सभी खेल संगठनों को इस अधिनियम के अधीन बोर्ड से मान्यता प्राप्त माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे संगठन पर लागू होंगे ।

(6) राष्ट्रीय खेल निकाय की सभी संबद्ध इकाईयां यह सुनिश्चित करेंगी कि, वे बोर्ड के साथ ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से जैसा विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत की जाती है ।

(7) बोर्ड को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन, खेल शासन, एथलीट सहायता और कल्याण में भाग लेने वाले खेल संगठनों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संगठन के रूप में मान्यता देने की शक्ति भी होगी ।

(8) बोर्ड की मान्यता के लिए पात्रता मानदंड और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों के शासन और कार्यकरण की रीति ऐसी होंगी जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन को इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे संगठन पर लागू होंगे:

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन बोर्ड को दी गई मान्यता का नवीनीकरण ऐसी प्रक्रिया के अनुसार आवधिक रूप से ऐसे समय अन्तराल पर किया जाएगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

बोर्ड की जांच संचालित करने की शक्ति ।

9. बोर्ड, खिलाड़ियों के कल्याण या देश में खेलों के विकास या सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग को प्रभावित करने वाले मामलों पर या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या निकाय से प्राप्त शिकायत के उत्तर में, जांच कर सकेगा, जहां वह संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए उचित कारण है:

परंतु ऐसी कोई शिकायत तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय खेल निकाय या उनकी संबद्ध इकाइयों के पास उपलब्ध सभी उपचारों का उपयोग नहीं कर लिया हो:

परंतु यह और कि बोर्ड ऐसी शिकायत पर विचार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उन उपायों तक पहुंचने से अनावश्यक विलंब या अयुक्तियुक्त पूर्वग्रह उत्पन्न होगा ।

बोर्ड की मान्यता निलंबित या रद्द करने की शक्ति ।

10. (1) बोर्ड स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित पक्ष द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर, आदेश द्वारा, किसी खेल संगठन की राष्ट्रीय खेल निकाय के रूप में बोर्ड की मान्यता या किसी राष्ट्रीय खेल निकाय की संबद्ध इकाई के रजिस्ट्रीकरण को निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में निलंबित या रद्द कर सकता है, अर्थात् :—

(क) संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय द्वारा निलंबित या रद्द कर दी गई है;

(ख) संबंधित संबद्ध इकाई को संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय द्वारा निलंबित या असंबद्ध कर दिया गया है;

(ग) राष्ट्रीय खेल निकाय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है , जिसमें बोर्ड मान्यता के पात्रता मानदंड या शर्तें शामिल हैं ;

(घ) संबंधित खेल संगठन के कंपनी रजिस्ट्रार या सोसायटी रजिस्ट्रार ने आंतरिक कार्यप्रणाली में घोर अनियमितताओं की रिपोर्ट की है या राष्ट्रीय खेल निकाय या उसकी संबद्ध इकाइयों का नाम हटा दिया है ;

(ङ) राष्ट्रीय खेल निकाय या संबद्ध इकाई ने,—

(i) अपनी कार्यकारी समिति के लिए निर्वाचन कराने में विफल रहा है या उसके निर्वाचन प्रक्रियाओं में घोर अनियमितताएं की हैं;

(ii) अपने वार्षिक परीक्षित लेखे प्रकाशित करने में विफल रहा; या

(iii) किसी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, दुरुपयोजन या दुर्विनियोग किया है:

परन्तु खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट निलंबन या असंबद्धता, यथास्थिति

संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय या राष्ट्रीय खेल निकाय द्वारा निलंबन या असंबद्धता के साथ समाप्त हो जाएगी, जिसे बोर्ड द्वारा लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से, ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसे बोर्ड आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन खेल संगठन की बोर्ड मान्यता या रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण का आदेश जारी करने से पूर्व, बोर्ड निम्नलिखित सम्बद्धों से परामर्श करेगा,—

(क) अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय, जहां बोर्ड की मान्यता का निलंबन या रद्दकरण राष्ट्रीय खेल महासंघ या क्षेत्रीय खेल महासंघ से संबंधित हो;

(ख) राष्ट्रीय खेल महासंघ या क्षेत्रीय खेल महासंघ, जहां रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्दकरण किसी संबद्ध इकाई से संबंधित हो,

और ऐसे परामर्श के पश्चात्, निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाएगा, अर्थात्:–

(i) राष्ट्रीय खेल निकाय या उसकी संबद्ध इकाई की कमी को ठीक करने के लिए समुचित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी करना और अनुपालन किए जाने पर बोर्ड अनुपालन का निष्कर्ष निकालना; या

(ii) अपना निर्णय सुनाने से पहले पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर देकर सुनवाई आयोजित करना ।

(3) इस धारा के अधीन बोर्ड की मान्यता या रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के लिए बोर्ड के किसी आदेश के विरुद्ध अपील न्यायाधिकरण में की जा सकेगी।

तदर्थ प्रशासनिक निकाय।

11. (1) किसी राष्ट्रीय खेल निकाय की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता समाप्त हो जाने की स्थिति में, सामान्यीकरण प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और संविधि के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा और बोर्ड ऐसी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामान्यीकरण प्रक्रिया के अभाव में किसी राष्ट्रीय खेल निकाय की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता समाप्त हो जाने पर, या धारा 10 के अधीन किसी राष्ट्रीय खेल निकाय की बोर्ड मान्यता के रद्द या निलंबित होने की स्थिति में, जहां मान्यता समाप्त होने का संबंध निम्नलिखित से है—

(क) राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के गठन के लिए, बोर्ड, यथास्थिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के परामर्श से एक तदर्थ प्रशासनिक निकाय का गठन कर सकेगा ;

(ख) किसी राष्ट्रीय खेल महासंघ के संबंध में, बोर्ड, जहां भी लागू हो, संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के परामर्श से, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को एक तदर्थ प्रशासनिक निकाय गठित करने का निर्देश दे सकेगा;

(ग) किसी क्षेत्रीय खेल परिसंघ के संबंध में, बोर्ड संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ, यदि कोई हो, के परामर्श से एक तदर्थ प्रशासनिक निकाय का गठन कर सकेगा ।

(3) धारा 10 के अधीन किसी राष्ट्रीय खेल निकाय की संबंध इकाई की बोर्ड मान्यता या रजिस्ट्रीकरण के रद्द या निलंबित होने की स्थिति में,—

(क) जहां बोर्ड की मान्यता या रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन किसी राज्य खेल परिसंघ से संबंधित हो, वहां बोर्ड संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ या क्षेत्रीय खेल परिसंघ को निर्देश दे सकेगा; और

(ख) जहां बोर्ड की मान्यता या रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन किसी जिला खेल परिसंघ से संबंधित हो, वहां बोर्ड संबंधित राज्य खेल परिसंघ को निर्देश दे सकेगा कि,

एक तदर्थ प्रशासनिक निकाय का गठन करे, जिसमें ऐसे सदस्य शामिल होंगें, जिन्हें बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय खेल निकाय या संबंधित संबद्ध राज्य इकाई के परामर्श से, जैसा भी मामला हो, निर्धारित किया जाए ।

(4) तदर्थ प्रशासनिक निकाय, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित खेल निकाय या उसकी संबद्ध इकाइयों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट तदर्थ प्रशासनिक निकाय में अधिकतम पांच प्रतिष्ठित खेल प्रशासक शामिल होंगे, जिन्होंने पहले किसी राष्ट्रीय खेल निकाय के अध्यक्ष या महासचिव या कोषाध्यक्ष का पद संभाला हो, या जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में सेवा की हो, जिनका खेल अनुशासन से कोई पूर्व संबंध या किसी प्रकार का हितों का टकराव न रहा हो:

परन्तु कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक तदर्थ प्रशासनिक निकाय का हिस्सा नहीं होगा ।

अध्याय 5

आचार संहिता

आचार संहिता ।

12. (1) प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय अपनी कार्यकारी समिति और अन्य समितियों के सदस्यों, कर्मचारियों, कर्मचारिवृंद, प्रायोजकों, प्रशिक्षकों, एथलीटों, अधिकारियों, सदस्यों, सम्बद्धों और ऐसे अन्य सुसंगत व्यक्तियों के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार एक आचार संहिता तैयार करेगा ।

(2) आचार की संहिता उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नैतिक और समुचित आचरण के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करेगी ।

(3) आचार संहिता अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों की आचार संहिता के अनुसार तथा भारत में लागू विधियों के अनुरूप विरचित की जाएगी ।

(4) आचार संहिता में विश्वास, जिम्मेदारी या प्राधिकार के पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यवहार के विरुद्ध कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपाय उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "विश्वास की स्थिति में व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति पर अधिकार, नियंत्रण या प्रभाव डालता है, या ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई अन्य व्यक्ति आश्रित है और जो राष्ट्रीय खेल निकाय के कार्यों से जुड़ा या सहयोजित है ।

अध्याय 6

सुरक्षित खेल और शिकायतों को दूर करना

सुरक्षित खेल नीति ।

13. (1) बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों द्वारा संचालित सभी गतिविधियों, आयोजनों, संचालनों और प्रचालनों पर लागू एक व्यापक सुरक्षित खेल नीति तैयार करेगा ।

(2) सुरक्षित खेल नीति में महिलाओं और अवयस्क खिलाड़ियों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपबंध शामिल होंगे, जैसा विहित किया जाए ।

(3) खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और ऐसे निकाय से संबद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा उठाई गई शिकायतों का निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी रीति से समाधान करने के लिए एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगा ।

अध्याय 7

मान्यता प्राप्त खेल संगठन के विशेषाधिकार और कर्तव्य

मान्यता प्राप्त खेल संगठन के विशेषाधिकार।

14. केवल मान्यता प्राप्त खेल संगठन ही ऐसे खेल संगठन पर लागू स्कीमों के अधीन, केन्द्रीय सरकार से अनुदान या कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के कर्तव्य।

15. (1) कोई मान्यता प्राप्त खेल संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी मतदान सदस्य और संबद्ध इकाइयां, यथा लागू, निम्नलिखित का अनुपालन करेगा—

(क) अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और क़ानून, जहां लागू हो, का पालन करेगा और उनमें विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करेगा, कर्तव्यों का पालन करेगा और कार्यों का निर्वहन करेगा; और

(ख) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध ।

(2) किसी मान्यताप्राप्त खेल संगठन को इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा। 2005 का 22

अध्याय 8

राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल

राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल की स्थापना और निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति ।

16. (1) केन्द्रीय सरकार, बोर्ड की सिफारिशों पर, एक राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल को अधिसूचित करेगी जिसमें उतने व्यक्ति होंगे जितने वह आवश्यक समझे, और आयुक्त यह सेवानिवृत्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त या उप-निर्वाचन आयुक्त या राज्यों के सेवानिवृत्त राज्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मिलकर बनेगा, जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निर्वाचनों के संचालन का पर्याप्त अनुभव हो। 1951 का 43

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति राष्ट्रीय खेल निकायों की कार्यकारी समितियों और एथलीट समिति के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन की देख-रेख करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(3) बोर्ड राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल का रोस्टर ऐसी रीति से बनाए रखेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों को भुगतान की जाने वाली फीस और अन्य भत्ते, ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

(5) राष्ट्रीय खेल निकाय अपनी निर्वाचन प्रक्रिया की देख-रेख करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल से एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं :

परंतु जहां अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय के चार्टर या संविधि में किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की अपेक्षा की गई हो, वहां संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय ऐसे अन्य व्यक्ति को बोर्ड को उसकी योग्यताओं और अनुभव

सहित ब्यौरा प्रस्तुत करने के पश्चात नियुक्त कर सकेगा ।

(6) प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय, जिसके पास सम्बद्ध इकाइयां हैं, अपनी सम्बद्ध इकाइयों की कार्यकारी समितियों के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए एक निर्वाचन पैनल तैयार करेगा, जिसमें उतनी संख्या में सेवानिवृत्त व्यक्ति शामिल होंगे, जितने आवश्यक समझे जाएं, और जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निर्वाचन कराने का पर्याप्त अनुभव हो ।

1951 का 43

(7) प्रत्येक संबद्ध इकाई राष्ट्रीय खेल निकाय द्वारा बनाए जाने वाले रोस्टर से एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो उसकी निर्वाचन प्रक्रिया की देख-रेख करेगा और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करेगा ।

अध्याय 9

राष्ट्रीय खेल अधिकरण

राष्ट्रीय खेल अधिकरण का गठन ।

17. (1) केन्द्रीय सरकार, खेल संबंधी विवादों के स्वतंत्र, त्वरित, प्रभावी और लागत दक्ष निपटारे का उपबंध करने के लिए अधिसूचना द्वारा, एक राष्ट्रीय खेल अधिकरण का गठन करेगी जो अध्यक्ष और अन्य दो सदस्यों से मिलकर बनेगा ।

(2) अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ।

(3) सदस्य, खेल, लोक प्रशाससन और विधि में विस्तृत ज्ञान और अनुभाव वाले लोक जीवन में ख्यात व्यक्ति होंगे ।

(4) अधिवक्ता का अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसी खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सिफारिश किए गए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश-अध्यक्ष ;

(ख) विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव ;

(ग) खेल विभाग में भारत सरकार का सचिव ।

(5) खोजबीन-सह-चयन समिति अपनी सिफारिशों को करने के लिए प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

(6) न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खोजबीन-सह-चयन समिति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी तथा केंद्रीय सरकार अधिमानत: ऐसी सिफारिश की तारीख से तीन मास के भीतर उस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विनिश्चय करेगी ।

(7) खोजबीन-सह-चयन समिति के सदस्य की किसी रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण मात्र से कोई नियुक्ति अवैध नहीं होगी ।

(8) अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

(9) अधिकरण, अपने कारबार के संचालन के लिए अपनी ही प्रक्रिया तैयार करेगा जिसके अंतर्गत मामलों का निपटारा करने के लिए अनुसरित की जाने वाली समय

सीमाएं भी हैं ।

(10) अधिकरण के संबंध में उपगत सभी व्यय भारत सरकार की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों का हटाया जाना ।

18. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिकरण के सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जिसे दीवालिया अधिनिर्णीत किया गया है;

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जो केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अद्यमता अंतवर्लित करता है;

(ग) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है;

(घ) जिसने कोई ऐसा वितीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे सदस्य या सदस्या के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा :

परंतु जहां अध्यक्ष या सदस्य को खंड (ग) से खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाने का प्रस्ताव किया जाता है, उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण का सदस्य अपने पद उसमें विनिर्दिष्ट आधारों पर तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशित न्यायाधीश ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त उसे निर्देश किए जाने पर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार हुई जांच के आधार पर, जैसी वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, हटाए जाने की सिफारिश न कर दी हो ।

अधिकरण के कर्मचारिवृंद ।

19. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिकरण के परामर्श से ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा जो अधिकरण के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के साधारण अधिक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिनको ऐसे अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करने की शक्तियां अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित की जाती हैं ।

(3) अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

अधिकरण की अधिकारिता का अपवर्तन ।

20. अधिकरण को निम्नलिखित मामलों को न्यानिर्णीत करने की अधिकारिता नहीं होगी, अर्थात् :–

(क) ओलंपिक खेलों, पैरालिंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, या किसी अंतर्राष्ट्रीय परिसंघों द्वारा आयोजित कोई अन्य वैसे ही कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न कोई विवाद या द्वंद;

(ख) निम्नलिखित की अनन्य अधिकारिता के अंतर्गत आने वाला कोई विवाद :–

(i) राष्ट्रीय खेल निकाय की आंतरिक विवाद समाधान समिति; या

(ii) कोई अन्य अधिकरण या न्यायालय; या

(iii) कोई अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ; या

(iv) लुलोसाने, स्विटजरलैंड में स्थापित खेल माध्यस्थम् न्यायालय;

2022 का 15

(ग) विवाद संबद्ध डोपिंग, जहां राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 के अधीन अनुशासनात्मक पैनलों को अनन्य अधिकारिता प्राप्त है;

(घ) कोई अन्य विषय जिसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और परिनियम पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे विनिर्दिष्ट तंत्र या न्यायनिर्णयन के लिए मंच को प्रस्तुत करें ।

सदस्यों, आदि का लोकसेवक होना ।

21. बोर्ड या अधिकरण के सदस्यों और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को 2023 का 45 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 के खंड (28) के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

लंबित मामलों का अंतरण ।

22. (1) इस अधिनियम की परिधि के अंतर्गत आने वाली सिविल अधिकारिता के अधीन सभी मामले जिनमें राष्ट्रीय खेल निकायों को पक्षकारों के रूप में पक्षकार बनाया गया है और अधिकरण के गठन से ठीक पूर्व किसी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उस तारीख से ही जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकरण को अंतरित मामलों पर सुनवाई और अधिनिर्णय उस प्रकार होगा जिस पर ऐसा विवाद संबद्ध न्यायालय में लंबित या नए सिरे से सुना जा सकेगा । यदि अधिकरण लिखित में उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात् समुचित समझता है ।

सिविल न्यायालय की अधिकरिता का वर्जन ।

23. किसी न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में जिसका अवधारण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकरण सशक्त है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिकरण को प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या किए जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरी को कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा

अधिकरण की शक्तियां ।

24. (1) अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, वैसी ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों की बाबत किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल 1908 का 5 न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा कराना;

(ख) दस्तावेजों को प्रकट करने तथा प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

2023 का 47

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख, या दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज या अभिलेख की प्रति;

(ङ) साक्षियों या दसतावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) आवेदन को व्यतिक्रम के लिए या इसे एक पक्षीय रूप से विनिश्चित

किए जाने के लिए, खारिज करना;

(ज) आवेदन को व्यतिक्रम के लिए या इसके द्वारा एकपक्षीय रूप से परित किसी आदेश को अपास्त करना; और

(झ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाए ।

(2) अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 228, धारा 229, धारा 233, धारा 257 और धारा 267 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी । 2023 का 45

(3) अधिकरण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 215 के प्रयोजन के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा । 2023 का 46

उच्चतम न्यायालय को अपील ।

25. (1) जब तक अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और परिनियमों में खेल माध्यस्थम न्यायालय के समक्ष अपील के लिए उपबंध न हो, तब तक अधिकरण के किसी आदेश, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, के विरुद्ध कोई अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं की जाएगी ।

(2) अधिकरण द्वारा किए गए किसी विनिश्चय के विरुद्ध पक्षकारों की सहमति से कोई अपील नहीं होगी ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु उच्चतम न्यायालय तीन दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा रोका गया था ।

अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का डिक्री के रूप में निष्पादनीय होना ।

26. (1) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा पारित आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादनीय होगा और इस प्रयोजन के लिए, अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां, प्राप्त होंगी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिकरण द्वारा इसको किए गए किसी भी आदेश के स्थानीय अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को पारिषित की जा सकेगी और ऐसा सिविल न्यायालय इस प्रकार आदेश निष्पादित कर सकेगा मानों यह उस न्यायालय द्वारा की गई कोई डिक्री हो ।

अध्याय 10

राष्ट्रीय नामों और प्रतीक चिन्ह का प्रयोग

राष्ट्रीय नामों और चिन्ह का प्रयोग ।

27. (1) "भारत" या "भारतीय" या "राष्ट्रीय" इसके रजिस्ट्रीकृत नाम, प्रचालन नाम, लोगो में या इसके कार्यकलापों में अन्यथा किसी भाषा में किसी राष्ट्रीय चिन्ह या संप्रतीकों के प्रयोग की वांछा करने वाला कोई खेल संगठन ऐसे प्रयोग के लिए केन्द्रीय सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा:

परंतु किसी मान्यताप्राप्त खेल संगठन कसे भिन्न कोई खेल संगठन इस उपधारा के अधीन अपेक्षा के अतिरिक्त बोर्ड की लिखित सहमति प्राप्त करेगा।

(2) कोई खेल संगठन इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा इसकी मान्यता के निलंबन या रद्द करण के होने पर "भारत" या भारत में किसी राज्य या जिला के नाम का प्रयोग नहीं करेगा या कोई खेल परीक्षणों ,टूर्नामेंटों या आयोजनों का संचालन नहीं करेगा ।

(3) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, किसी राष्ट्रीय खेल निकाय या इसके संबद्ध एकक द्वारा किसी प्राधिकार के बिना किन्हीं खेल परीक्षणों, टूर्नामेंटों या पदाभिहित खेलों के आयोजनों में भारत या भारत में किसी राज्य या जिले का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

निधि ।

28. (1) राष्ट्रीय खेल बोर्ड निधि नामक निधि का गठन किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा :—

(क) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, फीस और प्रभार; और

(ख) बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य संसाधनों से प्राप्त सभी राशियां, जिन पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा–

(क) बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों को संदेय वेतन एवं भत्तों तथा प्रशासनिक खर्चों जिनके अंतर्गत बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय वेतन तथा भत्ते भी हैं ; और

(ख) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को पूरा करने के लिए सभी अन्य खर्च ।

लेखे और संपरीक्षा ।

29. (1) बोर्ड उचित लेखाओं एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का रखरखाव करेगा और ऐसे प्ररूप लेखाओं का वास्तविक विवरण तैयार करेगा, जो भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसा संपरीक्षक के संबंध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा महानियंत्रक लेखा परीक्षक द्वारा संदेय होगा ।

(3) भारत का महा नियंत्रक और लेखा परीक्षक और बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के महानियंत्रक और लेखापरीक्षक को प्राप्त हैं और विशिष्टतया बोर्ड बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाउंचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजों को पेश करने की मांग करने तथा इसकके कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के महानियंत्रक और लेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित बोर्ड के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार इसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

खेल के संवर्धन और विकास संबंधी उपाय ।

30. (1) केन्द्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय चार्टरों और परिनियमों के अनुरूप ऐसे उपाय कर सकेगी जो विहित किए जाएं और जो यह खेलों के विकास, जिसमें लोकहित भी है, के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपायों, में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे:—

(क) राष्ट्रीय खेल निकायों द्वारा निर्वाचनों के संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जिनमें आदर्श निर्वाचन नियम भी है;

(ख) खिलाड़ियों के कल्याण और हितों का संवर्धन;

(ग) खिलाड़ियों के डाटा एवं निजता का संरक्षण; और

(घ) खेल के संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं विश्लेषकी का समुचित प्रयोग ।

नियम बनाने की शक्ति ।

31. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन नियम बनाते समय भारत में खेलों के प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता, जबावदेही और निष्ठा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्तरराष्ट्रीय चार्टर और परिनियमों पर विचार करेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन क्षेत्रीय खेल परिसंघ की सुसंगत संबद्धताएं;

(ख) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के परंतुक के अधीन उत्कृष्ट योग्यता के खिलाड़ी एवं अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति;

(ग) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन भिन्न-भिन्न निकायों, समितियों और पदों के निर्वाचनों का ढंग जिनके अंतर्गत उनका कार्यकाल, पात्रता मानदंड और उनके सदस्यों की निरर्हता भी है और शासन के अन्य विषय;

(घ) धारा 5 की उपधारा के अधीन बोर्ड की संरचना और सदस्यों की संख्या;

(ङ) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन खोजबीन-सह-चयन समिति की संरचना ;

(च) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन एवं भत्ते, उनकी पदावधि तथा उनकी सेवा की शर्तें, जिनमें सेवा से हटाया जाना भी है;

(छ) अन्य स्थान जहां पर बोर्ड धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन अपने शाखा कार्यालय स्थापित करेगा;

(ज) धारा 6 के खंड (i) के अधीन एथलीटों के अधिकारों एवं कल्याण तथा कार्मिक सहायता के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा किए जाने वाले उपाय ;

(झ) धारा 6 के खंड (ञ) के अधीन बोर्ड की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(ञ) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों की अर्हताएं, नियुक्ति वेतन, एवं भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ट) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन वे शर्तें और वह रीति जिसमें राष्ट्रीय खेल निकाय बोर्ड के पास अपने सहबद्ध यूनिटों के रजिस्ट्रीकरण को

सुनिश्चित करेंगे;

(ठ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षित खेल रीति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति;

(ड) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पेनल के रोस्टर को बनाए रखने की नीति;

(ढ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन पैनलीकृत व्यक्तियों को संदत्त किए जाने वाली फीस एवं अन्य भत्ते ;

(ण) धारा 17 की उपधारा (11) के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें;

(त) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन अधिकरण के कर्मचारियों एवं अन्य अधिकारियों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(थ) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कोई अन्य विषय;

(द) धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कोई अन्य विषय;

(ध) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन खेलों के संवर्धन और विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय; और

(न) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

32. (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा:

परंतु बोर्ड, इस धारा के अधीन नियम बनाते समय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा भारत में प्रबंधन और प्रशासन की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय चार्टर और परिनियमों का अनुपालन करेगा ।

(2) विशिष्ट या पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा :—

(क) धारा 6 के खंड (ख) के अधीन राष्ट्रीय खेल निकायों तथा उनकी अपनी-अपनी सहबद्ध यूनिटों का रजिस्टर बनाए रखने की रीति;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप, रीति और विशिष्टियां;

(ग) धारा 8 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन खेल संगठनों द्वारा अनुपालन किए जाने वाला अन्य मानदंड और शर्तें;

(घ) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बोर्ड की मान्यता के नवीकरण के लिए अन्तराल और प्रक्रिया;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (8) के अधीन राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन के रूप में खेल संगठन की बोर्ड की मान्यता के लिए पात्रता मानदंड, उनके शासन तथा कार्यकरण की रीति ऐसी मान्यता के नवीकरण के लिए अन्तराल और प्रक्रिया;

(च) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विनियमों निर्दिष्ट किया जाना है या विनिर्दिष्ट किया जाए ।

नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

33. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, विनियम और जारी की गई अधिसूचना, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो. कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, विनियम या अधिसूचना नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम, विनियम या अधिसूचना निष्प्रभावी हो जाएगा । किन्तु नियम, विनियम या अधिसूचना के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

विशेष मामलों में शिथिल करने की शक्ति ।

34. (1) यदि केन्द्रीय सरकार, ओलंपिक चार्टर में उल्लिखित सुशासन की भावना से संगत विनिर्दिष्ट खेल विद्याओं के संवर्धन के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है तो यह बोर्ड और संबद्ध अंतरराष्ट्रीय खेल निकाय के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, और ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के सभी या कोई उपबंध राष्ट्रीय खेल निकाय या उसमें विनिर्दिष्ट इसकी सहयोगी इकाई को लागू नहीं होंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कार्यपालिका समिति के सदस्यों के लिए पात्रता के मानदंड को शिथिल कर सकेगी । यदि ऐसा व्यक्ति कार्यपालिका समिति या किसी तत्स्थानी अंतरराष्ट्रीय खेल निकाय के वैसे ही निकाय में सेवारत है या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साधारण निकाय या अंतरराष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति में है ।

राष्ट्रीय हित में निदेश जारी करने और निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति ।

35. (1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर बोर्ड को या किसी अन्य व्यक्ति या अस्तित्व को इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(2) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा असाधारण परिस्थितियों में और राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था और संरक्षण में, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में संबद्ध खेल की किसी राष्ट्रीय टीम की सहभागिता या राष्ट्रीय खेल के क्रियाकलापों में किसी व्यष्टि की सहभागिता पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

36. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही बोर्ड, के या राष्ट्रीय खेल निकाय के या अधिकरण के या ऐसे प्राधिकरणों के किसी कर्मचारी को या किसी अन्य व्यक्ति के या प्राधिकरण के विरुद्ध नहीं होगी ।

अंतरराष्ट्रीय चार्टरों और परिनियमों के साथ टकराव ।

37. (1) राष्ट्रीय खेल निकायों का मार्गदर्शन मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय चार्टरों तथा परिनियमों द्वारा इसके अपने क्रियाकलापों के शासन में किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम तथा अंतरराष्ट्रीय चार्टरों एवं परिनियमों के किसी उपबंध के

टकराव होने की दशा में, केन्द्रीय सरकार बोर्ड और संबद्ध अंतरराष्ट्रीय खेल निकाय के साथ परामर्श करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, इस संबंध में स्पष्टीकारक अधिसूचना कर सकेगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

38. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन किया गया ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

खेल और उससे संसक्त क्रियाकलापों का विकास राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है । यह न केवल बालकों और युवाओं में सक्रिय जीवनशैली और फिटनेस को बढ़ावा देता है, बल्कि सामाजिक समावेशिता और एकजुटता, रोज़गार के अवसर, शांति और समग्र विकास के साथ-साथ पहचान और गौरव की भावना भी पैदा करता है ।

2. भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 ने खेल निकायों के लिए सुशासन पद्धतियाँ स्थापित की जो देश में खेलों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक हैं । इसने भारतीय ओलंपिक संघ सहित खेल संगठनों को भारत में खेलों के नियमन हेतु खेल निकायों के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु एक ढाँचा प्रदान किया । हालांकि, खेल निकायों के प्रशासन में सुधार, खेलों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने और खेल संघों से जुड़े विवादों और मुकदमों को कम करने के लिए एक व्यापक विधान की आवश्यकता महसूस की जा रही है । गुटबाजी और प्रशासनिक हस्तक्षेप पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है, जो भारत में खेलों और संबंधित क्रियाकलापों के संगठित विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खेल समुदाय के समक्ष खेलों की बेहतर प्रस्तुति के लिए भी आवश्यक है ।

3. भारत का प्रयास है कि देश में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की जाए और इसके लिए तैयारियां चल रही हैं । साथ ही, 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि खेल प्रशासन के परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव लाया जाए ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त हों, खेल उत्कृष्टता प्राप्त हो और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन में सहायता मिले ।

4. उपर्युक्त लक्ष्यों के आलोक में, प्रस्तावित विधान का उद्देश्य खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपाय, ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रथाओं और स्थापित विधिक मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित नैतिक व्यवहार और खेल शिकायतों और खेल विवादों के एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से समाधान का उपबंध करना है ।

5. राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात् :—

i. राष्ट्रीय खेल शासी निकाय जैसे राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ और क्षेत्रीय खेल महासंघ आदि की स्थापना, संबंधित मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के लिए का उपबंध करना;

ii. एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना करना जो अन्य बातों के साथ-साथ खेल संगठनों को राष्ट्रीय खेल शासी निकाय के रूप में बोर्ड की मान्यता प्रदान करने तथा उनकी संबद्ध इकाइयों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी होगा:

iii. राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल का उपबंध करना जिसमें भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व सदस्य या राज्यों के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी या उप निर्वाचन आयुक्त सम्मिलित होंगे, जो राष्ट्रीय खेल निकायों की कार्यकारी समितियों और एथलीट समिति के स्वतंत्र और निष्पक्ष

निर्वाचनों के संचालन की देखरेख के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे;

iv. खेल संबंधी विवादों के स्वतंत्र, त्वरित, प्रभावी और लागत-कुशल निपटान के लिए एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से युक्त राष्ट्रीय खेल अधिकरण के गठन का उपबंध करना;

v. अधिकरण के किसी भी आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का उपबंध करना, जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और विधि खेल पंचाट न्यायालय के समक्ष अपील का उपबंध न करें;

vi. आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय नाम और प्रतीक चिन्ह के उपयोग को प्रतिबंधित करना:

vii. भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और कानून के अनुरूप, लोक हित में, खेलों के संवर्धन और विकास के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सशक्त बनाना; तथा किसी भी खेल निकाय या उनकी संबद्ध इकाइयों को विधेयक या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमन के किसी भी उपबंध से छूट देना;

viii. केन्द्रीय सरकार को विधान के कुशल प्रशासन के लिए बोर्ड या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को ऐसे निर्देश देने के लिए सशक्त करना, जैसा वह उचित समझे;

ix. यह उपबंध करना कि राष्ट्रीय खेल निकाय अपने कार्यों के संचालन में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और कानूनों द्वारा निर्देशित होंगे ।

6. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों का विस्तृत वर्णन करते हैं ।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
14 जुलाई, 2025

डा. मनसुख मांडविया

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—यह खंड विधेयक के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के लिए उपबंध करता है।

खंड 2—यह खंड विधेयक के कतिपय पदों को परिभाषित करता है जिसमें अन्य बातो के साथ "तदर्थ प्रशासनिक निकाय", "संबद्ध इकाई", "एथलीट समिति","बोर्ड", "बोर्ड मान्यता", "अभिहित खेल", "अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और परिनियम","अंतर्राष्ट्रीय महासंघ","अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति","अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय","अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय","राष्ट्रीय खेल निकाय" आदि सम्मिलित है।

खंड 3—यह खंड राष्ट्रीय खेल शासी निकायों अर्थात राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ,और उनके संबंधित मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के लिए क्षेत्रीय खेल महासंघ की स्थापना का उपबंध करता है। राष्ट्रीय खेल शासी निकाय संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल शासी निकाय से अन्तरराष्ट्रीय मान्यता और संबद्धताओं का रखरखाव करेगा ।

खंड 4—यह खंड अंतर्राष्ट्रीय परिनियमों के साथ स्वच्छ और पारदर्शी रीति में उनके कृत्यों को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खेल निकाय के लिए अवसंरचना और अन्य अपेक्षाओं से संबंधित अपेक्षाओं के अनुपालन करने का उपबंध करता है । इसमें अन्य बातों के साथ, यह उपबंध किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय, प्रत्येक संबद्ध इकाई से समान संख्या में प्रतिनिधि से मिलकर बनने वाली एक साधारण निकाय होगी, जो यह उपबंध करती है कि वह उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों और पन्द्रह सदस्यों से अनधिक सदस्य वाली कार्यकारी समिति, जिसके अंतर्गत कम से कम दो उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों, एथलीट समिति से दो सदस्य तथा पदेन और अन्य सदस्य होंगे ।

खंड 5—यह खंड राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना का उपबंध करता है । बोर्ड एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में अन्य सदस्य जितने केन्द्रीय सरकार विहित कर सके। बोर्ड के सदस्य ऐसी खोज सचिन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जिसे केंद्रीय सरकार विहित कर सके।

खंड 6—यह खंड राष्ट्रीय खेल बोर्ड की शक्तियों और कार्यों के बारे में उपबंध करता है, जिसमें खेल संगठनों को बोर्ड मान्यता प्रदान करना और संबद्ध का रजिस्ट्रीकरण करना और ऐसी मान्यता या रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द करना, राष्ट्रीय खेल संगठनों और उनकी संबंधित संबद्ध इकाइयों का एक रजिस्टर रखना, जांच करना, एक तदर्थ प्रशासनिक निकाय का गठन करना या संबंधित राष्ट्रीय खेल निकाय या उनकी संबद्ध इकाइयों को एक तदर्थ प्रशासनिक निकाय का गठन करने का निर्देश देना, आचार संहिता तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी करना, महिलाओं, अवयस्क खिलाड़ियों और अन्य वर्गों के व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सुरक्षित खेल नीति तैयार करना, राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल की सूची बनाए रखना शामिल है।

खंड 7—इस विधेयक में यह उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के परामर्श से, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस विधेयक के अधीन बोर्ड के कार्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त करेगी। बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी का पद, नियुक्ति, वेतन, भते

तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी केन्द्रीय सरकार विहित करे।

खंड 8—यह खंड राष्ट्रीय खेल बोर्ड को किसी भी खेल संगठन को राष्ट्रीय खेल निकाय के रूप में बोर्ड मान्यता प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है और इस नियम के अधीन दी गई बोर्ड मान्यता को समय-समय पर नवीनीकरण किया जाएगा।

खंड 9—यह खंड बोर्ड को खिलाड़ियों के कल्याण या देश के विकास या सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग को प्रभावित करने वाले मामलों पर प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच करने का अधिकार देता है।

खंड 10—यह खंड उन आधारों का उपबंध करता है जिनके आधार पर बोर्ड या प्राप्त शिकायत के आधार पर, बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेल निकाय या किसी राष्ट्रीय खेल निकाय की संबद्ध इकाई के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसमें यह भी उपबंध है कि इस खंड के अंतर्गत बोर्ड के आदेश के विरुद्ध कोई भी मामला न्यायाधिकरण के पास होगा।

खंड 11—यह खंड किसी राष्ट्रीय खेल निकाय की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता समाप्त होने या किसी संबद्ध राष्ट्रीय खेल निकाय के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दीकरण की स्थिति में, सामान्यीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में बोर्ड द्वारा एक प्रशासनिक निकाय का गठन करने या ऐसा करने का निर्देश देने का उपबंध करता है। इसमें यह भी उपबंध है कि तदर्थ प्रशासनिक निकाय में पाँच प्रतिष्ठित खेल प्रशासक शामिल होंगे।

खंड 12—यह खंड बोर्ड को राष्ट्रीय खेल बोर्ड में नैतिक और उचित आचरण के लिए न्यूनतम मानकों को लागू करने के लिए आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का उपबंध करता है। आचार संहिता के लिए निर्धारित दिशानिर्देश अंतरराष्ट्रीय खेल निकाय की आचार संहिता के अनुरूप होंगे।

खंड 13—यह खंड महिलाओं, अवयस्क खिलाड़ियों और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सुरक्षित खेल नीति तैयार करने का उपबंध करता है।

खंड 14—यह खंड यह उपबंध करता है कि केवल मान्यता प्राप्त खेल संगठन ही केन्द्रीय सरकार से अनुदान या कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा।

खंड 15—यह खंड मान्यता प्राप्त खेल संगठन के कर्तव्यों को अधिकथित करता है और यह भी उपबंध करता है कि एक मान्यता प्राप्त खेल संगठन को अपने कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सूचना अधिनियम, 2005 के अधीन एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा।

खंड 16—यह खंड राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल और एक निर्वाचक अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है। पैनल में उतने ही व्यक्ति होंगे, जितने निर्वाचन संचालन के लिए आवश्यक समझे जाएँगे। इसमें यह भी उपबंध है कि बोर्ड एक रोस्टर बनाए रखेगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल के सदस्यों की फीस और अन्य भत्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएँगे।

खंड 17—यह खंड केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा एक खेल अधिकरण के गठन का उपबंध करता है, जो खेल संबंधी विवादों का निपटारा करेगा। अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे। खोज-सह-चयन केन्द्रीय समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, मामलों के निपटान के लिए विहित समय-सीमा और भारत की संचित निधि से अधिकरण के संबंध में किए

गए सभी खर्चों सहित, अपने कार्य संचालन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेंगे।

खंड 18—यह खंड अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने के लिए आधार अधिकथित करता है।

खंड 19—यह खंड अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है और नियुक्ति के लिए अर्हता, नियुक्ति, वेतन और भत्ते और अन्य शर्तें अधिकथित करता है।

खंड 20—यह खंड उन मामलों का उपबंध करता है, जहां अधिकरण को न्यायनिर्णयन का अधिकार नहीं होगा।

खंड 21—यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड या अधिकरण के सदस्य तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी भारतीय न्याय संहिता, 2023 के खंड (28) के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।

खंड 22—यह खंड उन सभी मामलों को तत्काल अधिकरण को हस्तांतरित करने का उपबंध करता है जिनमें राष्ट्रीय खेल निकायों को पक्षकार बनाया गया है और जो जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

खंड 23—यह खंड यह उपबंध करता है कि किसी भी सिविल न्यायालय को किसी भी मामले के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा, जिस पर अधिकरण को विधेयक के अधीन सशक्त किया गया है।

खंड 24—यह खंड यह उपबंध करता है कि विधेयक के अधीन अधिकरण अपने कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए उसके पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल संहिता 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय में निहित हैं।

खंड 25—यह खंड यह उपबंध करता है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और परिनियम खेल पंचाट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते, अधिकरण के किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जाएगी।

खंड 26—यह खंड यह उपबंध करता है कि इस विधेयक के अंतर्गत अधिकरण द्वारा पारित आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादन योग्य होगा, तथा इस प्रयोजन के लिए अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

खंड 27—यह खंड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करता है कि कोई भी खेल संगठन, जो अपने नाम, संचालन नाम, लोगो या अपने कार्यों में किसी भी भाषा में "भारत" या "भारतीय" या "राष्ट्रीय" या किसी राष्ट्रीय चिह्न या प्रतीक का उपयोग करना चाहता है, उसे ऐसे प्रयोग के लिए केन्द्रीय सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

खंड 28—यह खंड राष्ट्रीय खेल बोर्ड निधि का गठन करने का उपबंध करता है और इसमें बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, फीस और प्रभार तथा सभी राशियां शामिल होंगी तथा इस निधि से बोर्ड के अध्यक्षों, सदस्यों और अधिकारियों तथा अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते दिए जाएंगे तथा विधेयक के अधीन प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए अन्य सभी व्ययों को पूरा किया जाएगा।

खंड 29—यह खंड बोर्ड के उचित लेखा और अन्य सुसंगत कार्यों के रखरखाव का उपबंध करता है, जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाएगी। भारत के नियंत्रक एवं

महालेखा परीक्षक या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित बोर्ड के लेखा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रतिवर्ष सरकार को भेजी जाएगी और सरकार उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।

खंड 30—यह खंड उन उपायों का उपबंध करता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक हित सहित खेलों के संवर्धन और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के अनुरूप किए जा सकते हैं।

खंड 31—यह खंड केन्द्रीय सरकार को विधेयक के उपबंधो के अनुरूप नियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है।

खंड 32—यह खंड राष्ट्रीय खेल बोर्ड को विधेयक के प्रयोजनों के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त बनाता है।

खंड 33—यह खंड यह अपेक्षा करता है कि विधेयक के अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

खंड 34—यह खंड केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबंधो को, अधिसूचना द्वारा, किसी खेल निकाय या उसमें निर्दिष्ट उसकी संबद्ध इकाई पर लागू होने से छूट देने का अधिकार देता है। यह केन्द्रीय सरकार को विधेयक के अधीन निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए पात्रता मानदंड शिथिल करने का भी सशक्त बनाता है।

खंड 35—यह खंड राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में निर्देश देने और प्रतिबंध लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।

खंड 36—यह खंड यह उपबंध करता है कि बोर्ड या राष्ट्रीय खेल निकाय या अधिकरण या ऐसे प्राधिकरणों के किसी कर्मचारी, व्यक्ति या प्राधिकरण के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, जो विधेयक के उपबंधो के अनुरूप किया गया है या किए जाने का आशय है।

खंड 37—यह खंड यह उपबंध करता है कि राष्ट्रीय खेल निकाय अपने कार्यों के संचालन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय चार्टर और संविधि द्वारा निर्देशित होंगे और विधेयक तथा अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और संविधि के बीच टकराव की स्थिति में, यदि आवश्यक समझा जाए तो, केंद्रीय सरकार बोर्ड और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय के साथ मिलकर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकती है।

खंड 38—यह खंड केंद्रीय सरकार को विधेयक के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश जारी करने और ऐसे आदेशों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सशक्त बनाता है। विधेयक के प्रारंभ होने से पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इस खंड के अंतर्गत कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

वित्तीय ज्ञापन

खंड 5 (1) राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना का उपबंध करता है और खंड 17 (1) राष्ट्रीय खेल अधिकरण के गठन का उपबंध करता है ।

2. खंड 17 (10) में उपबंध है कि अधिकरण के संबंध में किए गए सभी व्यय भारत की संचित निधि से पूरा किए जाएंगे ।

3. खंड 28 राष्ट्रीय खेल बोर्ड निधि के गठन का उपबंध करता है जिसमें बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, फीस और प्रभार तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए, जमा की जाएंगी । गठित निधि का उपयोग बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते सहित प्रशासनिक व्यय; और विधेयक द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य सभी व्ययों के लिए किया जाएगा ।

4. राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल अधिकरण की स्थापना को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड, अधिकरण के सदस्यों और पहले वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त किए जाने वाले अन्य कर्मचारियों के वेतन के लिए प्रारंभ में दस करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल अधिकरण पर व्यय को उनकी संरचना और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार आगे संशोधित किया जाएगा । चूँकि व्यय राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल अधिकरण की संरचना और दोनों निकायों के लिए नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों पर निर्भर करेगा, इसलिए इस स्तर पर आवर्ती या गैर-आवर्ती व्यय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

5. यदि विधेयक अधिनियमित हो जाता है, तो इसके उपबंधों में भारत की संचित निधि से आवर्ती और अनावर्ती व्यय सम्मिलित होंगे । जब बोर्ड और अधिकरण क्रमशः स्थापित और गठित किए जाएंगे, उपरोक्त उपगत किए जाने वाला व्यय, व्यय विभाग द्वारा ऐसे आबंटन के पश्चात्, बजटीय आबंटन से पूरा किया जाएगा । इस स्तर पर यह व्यय अनुमान्य नहीं है क्योंकि संरचना, पद, अधिकारियों की संख्या और अन्य पहलू अंतिम नहीं हैं ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 31, केंद्रीय सरकार को विधेयक के उपबंधों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बनाने हेतु सशक्त बनाता है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं । इनमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं-

(i) खंड 3 के उपखंड (6) के अधीन क्षेत्रीय खेल महासंघ की सुसंगत संबद्धताएं; (ii) खंड 4 के उपखंड (1)(क) के परंतुक के अधीन उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी और अन्य श्रेणियों के व्यक्ति; (iii) खंड 4 के उपखंड (4) के अधीन विभिन्न निकायों, समितियों और पदों के लिए निर्वाचन की पद्धति जिसमें उनका कार्यकाल, सदस्यों की पात्रता मानदंड और निर्हरता, तथा शासन के अन्य मामले सम्मिलित हैं; (iv) खंड 5 के उपखंड (1) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की संरचना और संख्या; (v) खंड 5 के उपखंड (2) के अधीन खोज-सह-चयन समिति की संरचना; (vi) खंड 5 के उपखंड (3) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ते, कार्यकाल और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, जिसमें सेवा से हटाया जाना भी सम्मिलित है; (vii) अन्य स्थान जहाँ बोर्ड खंड 5 के उपखंड (5) के अधीन अपने शाखा कार्यालय स्थापित करेगा; (viii) खंड 6 (झ) के अधीन खिलाड़ियों और सहायक कार्मिकों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा किए जाने वाले उपाय; (ix) खंड 6 (ञ) के अधीन बोर्ड की अन्य शक्तियाँ और कार्य; (x) खंड 7 के उपखंड (3) के अधीन बोर्ड के कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; (xi) खंड 8 के उपखंड (6) के अधीन राष्ट्रीय खेल निकायों की संबद्ध इकाइयों द्वारा बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करने की शर्तें और रीति; (xii) खंड 13 के उपखंड (2) के अधीन सुरक्षित खेल नीति के अधीन आने वाले अन्य व्यक्ति; (xiii) खंड 16 के उपखंड (3) के अधीन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय खेल निर्वाचन पैनल का रोस्टर बनाए रखने का तरीका; (xiv) खंड 16 के उपखंड (4) के अधीन पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों को संदत्त की जाने वाली फीस और अन्य भत्ते; (xv) खंड 17 के उपखंड (8) के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें; (xvi) खंड 19 के उपखंड (3) के अधीन अधिकरण के कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें; (xvii) कोई अन्य मामला जिसके संबंध में अधिकरण खंड 24 के उपखंड (1)(झ) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है; (xviii) वह प्ररूप जिसमें बोर्ड खंड 29 के उपखंड (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा; (xix) खंड 30 के उपखंड (1) के अधीन खेलों के संवर्धन, विकास और संवर्धन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय; और (xx) कोई अन्य विषय जो विधेयक के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है ।

2. विधेयक का खंड 32 राष्ट्रीय खेल बोर्ड को, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है । उक्त खंड का उप-खंड (2) उन विषयों को निर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में विनियम बनाए जा सकते हैं । इन विषयों में सम्मिलित हैं-

(i) खंड 6 (ख) के अधीन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय खेल निकायों और उनकी संबद्ध इकाइयों का रजिस्टर बनाए रखने का तरीका; (ii) खंड 8 के उपखंड (2) के अधीन आवेदन का प्रारूप, रीति और विवरण; (iii) खंड 8 के उपखंड (3)(घ) के अधीन खेल संगठनों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले अन्य मानदंड और शर्तें; (iv) खंड 8 के उपखंड (4) के अधीन बोर्ड मान्यता के नवीकरण के लिए अंतराल और प्रक्रिया; (v) खंड 8 के उपखंड (8) के अधीन किसी खेल संगठन को राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन के रूप में बोर्ड मान्यता प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड, उनके शासन और कार्यकरण की रीति तथा ऐसी मान्यता के नवीकरण के लिए अंतराल और प्रक्रिया; और (vi) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जा सकता है ।

3. वे विषय, जिनके संबंध में नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।